जेपीआर 5—630

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक जडि अधी अभि (वाणिज्य)/सी–1/एफ(प्रेस नोट)/प्रे. 1385 दिनांक 13/10/11

—: आदेश :—

विषय :—सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापना पर विद्युत बिल में मिलने वाली छूट के बाबत्।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 08.09.2011 द्वारा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को जयपुर विद्युत वितरण निगम से अनुमोदन पश्चात् सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना एवं इसका उपयोग करने पर 5 वर्ष के लिए ऊर्जा प्रभार में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से (अधिकतम 300 रूपये प्रतिमाह) छूट दी गयी है। उपभोक्ताओं द्वारा सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम को स्थापित करने एवं उसको उपयोग करने पर मिलने वाली छूट के लिए संलग्न प्रपपत्र (अनुलग्नक–अ) के प्रारूप अनुसार भरकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आज्ञासे,
13/10/11
(के.के.पुरोहित).
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

E:\MEENA\Order-1.doc

अनुलग्नक 'अ'

सहायक अभियन्ता(पवस/),
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.... ।

विषयः– सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम स्थापना पर विद्युत बिल में मिलने वाली छूट के बाबत् । (25 पैसे प्रति यूनिट, अधिकतम 300/–रू.)।

संदर्भ :– प्रार्थी का घरेलू विद्युत कनेक्शन खाता संख्या बिल न......

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा अपने घरेलू निवास पर ....लीटर क्षमता का सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है । विद्युत विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक /परिपत्र ....दिनांक............................ के अनुसार घरेलू क्षेत्र में सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम के पश्चात् विद्युत बिल में देय छूट यथा 25 पैसे प्रति यूनिट अधिकतम 300 /– रू. प्रति माह की दर से मेरे उपरोक्त विवरणानुसार विद्युत बिल में छूट का प्रावधान करते हुए बिल बनाये जाने का श्रम करें। अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	विवरण	
1	नाम	
2	विद्युत कनेक्शन नम्बर/खाता संख्या (बिल प्रति संलग्न)	
3	सोलर वॉटर हीटिंग की क्षमता	
4	सोलर वॉटर हीटिंग का प्रकार ETC/FPC	
5	सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का मेक	
6	सोलर वॉटर हीटिंग के क्रय का बिल	

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 25 पैसे प्रति यूनिट अधिकतम 300/– रू प्रति माह की दर से विद्युत बिल में मिलने वाली छूट का प्रावधान उक्त घरेलू कनेक्शन हेतु भविष्य में जारी किये जाने वाले 5 वर्षों तक प्रति माह विद्युत बिलों में से छूट दिलवाये जाने की कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
उपभोक्ता/आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पूर्ण पता जहाँ सिस्टम लगा हुआ है।,

प्रमाणिकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....के निवास.............................पर विवरणाानुसार स्थापित सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का निरीक्षण कर लिया गया है, निरीक्षण के दौरान सिस्टम चालू स्थिति में था। अतः विद्युत नियमों के अनुसार सोलर वॉटर सिस्टम पर देय छूट दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

सहायक अभियन्ता(पवस) कार्यालय उपयोग हेतु

कार्यालय सहायक अभियन्ता(पवस) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
प्रार्थना पत्र आज दिनांक ....को प्राप्त हुआ
प्राप्ति क्रमाक ....दिनांक

E:\MEENA\Order-1.doc